शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-3/2019/186/तीन-2019-6(12)/18

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2019

विषयः- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2487/तीन-5(9)/85सा0प्र0अनु0, दिनांक 07 जुलाई, 1987 एवं शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-111/तीन-98-5(14)/97सा0प्र0अनु0, दिनांक 06 मई, 1999, शासनादेश संख्या-2028(1)/तीन-2008-5(1)/2004, दिनांक 21 सितम्बर, 2008 एवं शासनादेश संख्या-647/तीन-2018-10(35)/2016, दिनांक 10.10.2018 के अनुसार श्री राज्यपाल अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत अलंकृत उत्तर प्रदेश के नागरिक के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु कुल धनराशि 65,000/- (पैंसठ हजार मात्र) निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	अलंकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	अलंकरण/पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि	अलंकृत व्यक्ति के स्थायी निवास का पता	राज्य सरकार से अनुमन्य धनराशि/एकमुश्त/वार्षिकी एवं संगत वित्तीय वर्ष	धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सैपर अमरजीत सिंह	शौर्य चक्र 15.8.2011	ग्राम व पोस्ट-गांगूपार, तप्पा-अठैसी, तहसील-बासगाव, जनपद-गोरखपुर	वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिकी रू0 65,000/-	श्रीमती दीपमाला सिंह पत्नी स्व0 सैपर अमरजीत सिंह
				कुल योग रू0 65,000/- (रूपये पैंसठ हजार मात्र)	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक ''2075-विविध सामान्य सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे की उपर्युक्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।

4- जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचान नियमानुसार करने के उपरान्त Electronic fund transfer से सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाए कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवत हो।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाए तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाउचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाए। सम्बंधित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगत कराने से पूर्व संबंधित लाभार्थी का ''जीवित प्रमाण-पत्र'' प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे। यह शासनादेश एवं ग्रिड रिपोर्ट www.shasanadesh.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-186(1)/तीन-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, गोरखपुर।
3- संबंधित व्यक्ति/प्राप्तकर्ता (श्रीमती दीपमाला सिंह पत्नी स्व0 सैपर अमरजीत सिंह ग्राम व पोस्ट-गांगूपार, तप्पा-अठैसी, तहसील-बासगाव, जनपद-गोरखपुर।
4- रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उ0प्र0, कैसरबाग, लखनऊ, उ0प्र0।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
भैरव नाथ शुक्ल
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सामान्य प्रशासन विभाग

आवंटन आदेश संख्याः 001-186/2 आवंटन तिथि: 29/03/2019

कोषागारः 32- गोरखपुर वित्तीय वर्षः 2018-2019

अधिकारी/जनपद का संख्याः4183- जिलाधिकारी अधिकारी कार्यालय संख्याः01--

अनुदान संख्याः 84- सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशीर्षकः 2075- विविध सामान्य सेवायें

800- अन्य व्यय

03- अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ0प्र0 के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि

आयोजनेत्तर-मतदेय

(धनराशि रूपये में)

कोषागार: गोरखपुर

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42-अन्य व्यय	260000	65000	325000
योगः	260000	65000	325000

हरीराम

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।